वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : info@abvp.org

दि. 22 मार्च 2013

–: **प्रेस विज्ञप्ति** :–

संजय दत्त मामले में कुछ राजनैतिक दलों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध व संजय दत्त को माफी दिए जाने की बात करना अत्यन्त निन्दनीय – उमेश दत्त

देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय दत्त मामले में दिये गए निर्णय का कुछ राजनैतिक दलों के माध्यम से हो रहे विरोध व संजय दत्त को माफी देने के लिए चलाये जा रहे अभियान का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कड़े शब्दों मे विरोध करती है। ज्ञातव्य है की संजय दत्त को 1993 के मुम्बई विस्फोटों के षडयंत्रकारियों से हथियार हासिल करने और अवैध ढंग से हथियार अपने पास रखने के जुर्म मे पांच साल कैद की सजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही इस मामले में संजय दत्त को सजा सुनाई गई है। देश के सभी राजनैतिक दलों ओर सभी नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ राजनैतिक दलों द्वारा संजय दत्त की सजा माफी की बात करना देश की न्याय व्यवस्था को कटघरे मे खड़ा करने जैसा है। कानून की दृष्टी में देश के सभी नागरिक समान है, इसलिए संजय दत्त के मामले को अलग से देखने की आवश्यकता नही है।

श्री उमेश दत्त ने कहा है कि संजय दत्त के पास उपलब्ध न्यायिक विकल्पों के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। अभाविप देश के उन राजनैतिक दलों का विरोध करती है जिनके द्वारा इस विषय को राजनैतिक व भावनात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कुछ राजनैतिक दलों का यह व्यवहार न्यायिक अस्थिरता का निर्माण करेगा और ऐसा करना देश को भी अस्थिरता की तरफ ले जाने वाला हो सकता है। देश के कानून की नजर मे देश के सभी नागरिक एक समान है इसलिए कानूनी रूप से किसी को भी विशेष दर्जा दिये जाने का अभाविप विरोध करती है।

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री सी.एम. धाकड़ द्वारा जारी कि गई है)